(b) It is tentatively programmed to open the Madras-Villupuram section to passenger traffic on 15.12.85.

(c) The total loss of earnings to the Railway is being assessed and will be laid on the table of Sabha.

कम्प्यूटर आरक्षण सुविधा के लिये आबंटित राशि

1835. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर आरक्षण सुविधा शुरु करने के लिये कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): संगणकीकृत यात्री आरक्षण के कार्यान्वयन सम्बन्धी परियोजना दिल्ली क्षेत्र में प्रगति पर है। इस परियोजना की कुल लागत 11.87 करोड़ रुपये है। इसमें से अब तक चालू वित्त वर्ष तक के लिए 3.57 करोड़ रुपये आबंटित किये जा चुके हैं।

संगणकीकृत आरक्षण प्रणाली से जो लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है, वे नीचे दिये गये हैं :-

(1) ग्राहक की सेवा करने में लगने वाला समय कम हो जाने की आशा है,

(2) पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आरक्षणों का ठीक और सही हिसाब रखा जा सकेगा, जिससे किसी प्रकार की हेराफेरी की सम्भावना समाप्त हो जायेगी,

(3) जिन स्थानों पर संगणकीकृत आरक्षण काउंटरों की व्यवस्था होगी, वहां किसी भी काऊंटर से किसी भी गाड़ी में आरक्षण प्राप्त करने में यात्रियों को सुविधा होगी,

(4) प्रतीक्षा सूची में रखे गये यात्रियों को रद्द आरक्षण का स्वतः आबंटन,

(5) यदि किसी विशिष्ट तारीख/गाड़ी में स्थान. . . .उपलब्ध न हो तो वैकल्पिक गाड़ी/तारीख में स्थान की उपलब्धता और/अथवा बुकिंग के सम्बन्ध में सूचना उसी काउंटर से प्राप्त की जा सकेगी;

(6) प्रत्येक टर्मिनल के लिए जारी किये गये टिकटों, वसूल किये गये पैसे तथा भेजे गये पैसे का स्वतः हिताब-किताब लग सकेगा।

(7) प्रत्येक गाड़ी के छूटने के निर्धारित समय से पहले नामों के वर्णक्रमानुसार अथवा प्रतीक्षा-सूची की संख्या के अनुसार, जो भी चाहें, आरक्षण चार्टों का स्वतः मुद्रण,

(8) किसी भी गाड़ी में किसी भी समय सीट/शायिका की उपलब्धता की तात्कालिक और सही स्थिति के बारे में सूचना,

(9) छोटे स्टेशनों के आरक्षण कोटे और यात्रा के भिन्न-भिन्न हिस्सों के अनुरूप आरक्षण का कुशल ढंग से संचालन करना ताकि उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जा सके, और

(10) शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बुकिंग-एवं-आरक्षण टर्मिनलों की व्यवस्था होने से दैनिक यात्री सेवाओं पर भी दबाव कम किया जा सकेगा।

राजस्थान में बास्केट-बाल को राज्य खेल का दर्जा

1836. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बास्केट बाल को राज्य खेल का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने अपने निर्णय के क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला-कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई पत्र-व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।